पीठासीन अधिकारी जी अन्य व्यस्त
है। अतः पत्रावली आयन्दा कार्यवाही के
लिए दिनांक 21/11/24 को पेश हो।

रीडर
अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

21/11/24

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता अनुपस्थित। बार-बार मौकाें लगायी गयी। बावजूद इसके प्रार्थी अधिवक्ता अनुपस्थित। विपक्षी सं. 01 के पक्ष में कार्यवाही के कारण पेश नहीं किये। अतः पत्रावली प्रार्थी अधिवक्ता की अस्थायी निषेधाज्ञा एवं अन्तर्वर्ती स्थगन से खारिज की जाती है। पत्रावली नियम के तहत करें।

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा